



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032022-234549
CG-DL-E-26032022-234549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 2022/चैत्र 5, 1944

No. 219]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 2022/CHAITRA 5, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

सा.का.नि. 222(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उप-धारा (1), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या सा.का.नि. 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में संशोधन करने के लिएनिम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः—

1. उक्त अधिसूचना में,-

(क) क्रम संख्यांक (4) और (5) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

“(4) श्री अनिल सत्यनारायण भंडारी, — सदस्य,
901, कमला एंजीक्यूटिव पार्क, 9वीं मंजिल, अंधेरी, कुला रोड, जे बी नगर अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059 [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत नियुक्त];

(5) श्री पंकज त्यागी, — सदस्य
सी-504, यूनेस्को अपार्टमेंट, आई.पी. एक्सटेंशन, [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत नियुक्त]
पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092

(ख) क्रम संख्यांक (7), (8) और (9) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः:

“(7) श्री वृजमोहन महादेव शर्मा, - सदस्य,
बी-2, नीलसदन अपार्टमेंट, [लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 22क के तहत नियुक्त];
1426, सदाशिव पेठ, पुणे-411 030

- (8) श्री अनुल मित्तल,
डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, आईएल एंड एफएस
फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट नं. सी-22, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुरला
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400051
— सदस्य,
- (9) श्री सतविंदर सिंह,
वैश एसोसिएट्स, मोहन देव विलिंग, प्रथम तल,
13 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001
[कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क के
तहत नियुक्त];
- सदस्य"
2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 12/15/2007-पीआई (खंड-III)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणि : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1130(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 171(अ) तारीख 1 मार्च, 2019, सा.का.नि. 413(अ), तारीख 10 जून, 2019, सा.का.नि. 408(अ), तारीख 15 जून, 2021, सा.का.नि. 415(अ), तारीख 16 जून, 2021 और सा.का.नि. 212(अ), तारीख 17 मार्च, 2022 के द्वारा इसे बाद में संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2022

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:-

1. In the said notification,-

(a) for serial numbers (4) and (5) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

- “(4) Shri Anil Satyanarayan Bhandari,
901, Kamala Executive Park,
9th Floor, Andheri, Kurla Road, J B Nagar
Andheri (East), Mumbai-400059
-- Member,
[Appointed under clause (b) of sub- section (1) of section 22A
of the Chartered Accountants Act, 1949];
- (5) Shri Pankaj Tyagiee,
C-504, Unesco Apartment,
I.P. Extension, Patparganj,
New Delhi-110092
-- Member”
[Appointed under clause (b) of sub- section (1) of section 22A
of the Chartered Accountants Act, 1949]

(b) for serial numbers (7), (8) and (9) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

- “(7) Shri Brijmohan Mahadeo Sharma,
B-2, Neelsadan Apts.,
1426, Sadashiv Peth, Pune – 411 030
-- Member,
[Appointed under section 22A of the Cost and Works
Accountants Act, 1959];
- (8) Shri Atul Mittal,
Deloitte Haskins & Sells LLP,
The IL&FS Financial Centre,
Plot No. C-22, G- Block, Bandra Kurla
Complex, Bandra East, Mumbai- 400051
-- Member’
[Appointed under section 22A of the Company Secretaries
Act, 1980];

(9) Shri Satwinder Singh,
Vaish Associates,
Mohan Dev Building,
1ST Floor, 13 Tolstoy Marg,
New Delhi - 110 001
--Member”
[Appointed under section 22A of the Company Secretaries
Act, 1980]

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.12/15/2007-PI (Vol III)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016, G.S.R. 171(E), dated the 1st March, 2019, G.S.R. 413(E), dated the 10th June, 2019, G.S.R. 408(E), dated the 15th June, 2021, G.S.R. 415(E), dated the 16th June, 2021 and G.S.R 212(E) dated 17th March, 2022